[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 4/2019 – सीमा शुल्क (सीवीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7306 40 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 11 00 और 7306 21 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 6/22/2018-डीजीएडी, दिनांक 31 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

(i) विषयगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां यह उत्पाद सस्ता हो गया;
(ii) इस विषयगत उत्पाद के सस्ते होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के सस्ते आयात के कारण हुई है;

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम)4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस राशि तक की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	7306 40 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 11 00, 7306 21 00	वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	झेजियांग जियूली हाई-टेक मेटल्स कंपनी लिमिटेड	21.74
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से भिन्न कोई भी उत्पादक	29.88
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य और	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	29.88

			वियतनाम से भिन्न कोई भी देश			
4	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	सोंहा एसएसपी वियतनाम सोल मेम्बर कंपनी लिमिटेड	शून्य
5	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	नाम क्यूआंग मेटल कंपनी लिमिटेड	11.04
6	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	ओएसएस डाई ड्यूआंग इंटरनेशल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	11.10
7	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	विंलॉग स्टेनलेस स्टील (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड	10.33
8	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	स्टील 568 कंपनी लिमिटेड	शून्य
9	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	हा अंह स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड	11.96
10	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	जिआ अंह हूंग यून कंपनी लिमिटेड	11.96
11	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	उपर्युक्त 4 से 10 से भिन्न कोई भी उत्पादक	11.96
12	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम और चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	11.96

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(1) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(2) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है ।

(फाइल संख्या 354/125/2019-टीआरयू(

)रूचि बिष्ट(
अवर सचिव, भारत सरकार